न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 374-एक/2010 - विरूद्व आदेश दिनांक 16-2-2010 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग,उज्जैन - प्रकरण कमांक 188/2008-09 पुनरावलोकन

रामचन्द्र पुत्र नन्दाजी निवासी ग्राम पाडसुतिया
तहसील खाचरोद जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्व

1- रूगनाथ पुत्र नाथजी बागरी ग्राम पाडसुतिया
तहसील खाचरोद जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश
2- म0प्र0शासन व्दारा एस0डी0ओ0खाचरोद ----अनावेदकगण

(श्री दिनेश व्यास अभिभाषक - आवेदक)
(श्री मनीष गोयल अभिभाषक - अनावेदक क्र-2)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(दिनांक 28 जनवरी 2016)

यह निगरानी अपर आयुक्त , उज्जैन संभाग, उज्जैन व्दारा प्रकरण कमांक 188/2008-09 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 16-2-2010 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम पाडसुत्या के कोटवार पद पर अनावेदक क्र-1 पदस्थ था। सरपंच की शिकायत पर तहसीलदार खाचरोद ने प्रकरण कमांक 1 अ 56/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 31-10-07 से सेवा से प्रथक कर दिया । ग्राम में कोटवार पद रिक्त न रहे - तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ-56/07-08 में पारित आदेश दिनांक 27-11-07 से आवेदक की कोटवार पद पर बैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप अस्थाई नियुक्ति प्रदान कर दी। तहसीलदार खाचरोद के

प्रकरण क्रमांक 1 अ 56/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 31-10-07 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, खाचरोद के समक्ष अपील करने पर प्रकरण क्रमांक 8/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-4-08 से तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर उज्जैन के समक्ष ग्राम पंचायत पाडसुत्या ने निगरानी क्रमांक 62/07-08 प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 8-10-08 से स्वीकार हुई एंव अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 4-4-08 निरस्त किया गया। तदुपरांत तहसीलदार खाचरोद ने प्रकरण क्रमांक 1/अ-56/08-09 में पारित आदेश दिनांक 15-10-08 से पूर्व कोटवार रूगनाथ (अनावेदक क्र-1) के बहाल होने के कारण प्रकरण क्रमांक 2 अ-56/07-08 में पारित आदेश दिनांक 27-11-07 से आवेदक की कोटवार पद पर बैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप की गई अस्थाई नियुक्ति को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक ने अपील क्रमांक 6/08-09 प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी खाचरोद ने आदेश दिनांक 13-3-2009 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 15-10-08 निरस्त कर दिया एंव प्रकरण उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त , उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 283/08-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-8-09 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 13-3-09 निरस्त करते हुये तहसीलदार का आदेश दिनांक 15-10-08 यथावत् रखा गया। अपर आयुक्त , उज्जैन संभाग, उज्जैन के आदेश दिनांक 10-8-09 के विरूद्ध आवेदक ने पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 188/2008-09 पंजीबद्ध किया जाकर आदेश दिनांक 16-2-2010 से निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक एंव अनावेदक क्र-2 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्र-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को के दौरान बताया है कि अनुविभागीय अधिकारी का रिमान्ड आर्डर है जिसके विरूद्व अपर आयुक्त को अपील ग्राह्यता पर निरस्त करना थी । अनुविभागीय अधिकारी अपील में प्रकरण रिमाण्ड नहीं कर सकते । उन्हे अपील स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिये थी। अनुविभागीय अधिकारी खाचरोद के आदेश दिनांक 13-3-2009 के अवलोकन पर पाया गया कि उनके न्यायालय में प्रकरण वर्ष 2008-09 में दायर हुआ है एंव मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में किया गया सशोधन 30 नवम्बर 2011 का है जिसमें व्यवस्था दी गई है कि संशोधन के पूर्व जो प्रकरण जिस न्यायालय में प्रचलित है पूर्व की भांति निराकृत किये जायेंगे। अतः आवेदक के अभिभाषक का यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी, खाचरोद ने आदेश दिनांक 13-3-2009 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 15-10-08 निरस्त किया है जिससे अनावेदक कमांक-1 एंव 2 दोनों ही कोटवार पद के लिये प्रभावित हुए है अतएव ऐसे आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त ने अपील सुनवाई योग्य मानी है क्योंकि अपील की ग्राह्यता के समय आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष तदाशय की आपत्ति भी नहीं की है, जिसके कारण अपर आयुक्त , उज्जैन संभाग उज्जैन ने अंतिम आदेश दिनांक 10-8-09 पारित किया है एंव इन्हीं आधारों के कारण आदेश दिनांक 16-2-2010 से पुनरावलोकन आवेदन निरस्त किया है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त , उज्जैन संभाग, उज्जैन व्दारा प्रकरण कमांक 188/2008-09 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 16-2-2010 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर